प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटेलाल पुत्र श्री मुरली सिंह सिसौदिया, निवासी जनपद-औरैया की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार के पत्र संख्या-3840/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक-29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटेलाल पुत्र श्री मुरली सिंह सिसौदिया जो मो0 सत्तेश्वर, थाना-औरैया, जनपद-औरैया का निवासी है। बंदी द्वारा फिरौती वसूलने के उद्देश्य से दिनांक 01.05.2004 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सागर उम्र 04 वर्ष का अपहरण कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-49/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०), औरैया के आदेश दिनांक 04.04.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-04.04.2018 को निर्णय देते हुये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी के ऊपर एक वाद जीएसटी नं0-423बी/2012, धारा-3(1) यू०पी० गैंग० एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01, औरैया द्वारा 05 वर्ष कारावास (मूलसजा समाप्त अर्थदण्ड की सजा शेष है) से दण्डित किया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.01.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 24 दिन सजा तथा 19 वर्ष, 10 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी की उम्र अभी लगभग 57 वर्ष है जो अपराध करने में सक्षम है इसलिये अपराध किये जाने से इंकार नही किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर अपराध कारित किये जाने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि फिरौती वसूलने के उद्देश्य से दिनांक 01.05.2004 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सागर उम्र 04 वर्ष का अपहरण कर अपराध कारित किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, औरैया की आख्या/ संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोटे लाल पुत्र मुरली सिंह सिसौदिया को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटेलाल (बन्दी संख्या-167/2023) पुत्र श्री मुरली सिंह सिसौदिया, निवासी जनपद- औरेया के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-992/2025/483(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- जिला मजिस्ट्रेट, औरेया।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, इटावा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-992/2025/483/22-2-2025-17(352)/2025

दिनांक 06 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटेलाल पुत्र श्री मुरली सिंह सिसौदिया जो मो0 सत्तेश्वर, थाना-औरैया, जनपद-औरैया का निवासी है। बंदी द्वारा फिरौती वसूलने के उद्देश्य से दिनांक 01.05.2004 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सागर उम्र 04 वर्ष का अपहरण कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु सिद्धदोष बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-49/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364ए में मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०), औरैया के आदेश दिनांक 04.04.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-04.04.2018 को निर्णय देते हुये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी के ऊपर एक वाद जीएसटी नं0-423बी/2012, धारा-3(1) यू०पी० गैंग० एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-01, औरैया द्वारा 05 वर्ष कारावास (मूलसजा समाप्त अर्थदण्ड की सजा शेष है) से दण्डित किया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.01.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 24 दिन सजा तथा 19 वर्ष, 10 माह, 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी की उम्र अभी लगभग 57 वर्ष है जो अपराध करने में सक्षम है इसलिये अपराध किये जाने से इंकार नही किये जाने, जेल से रिहा किये जाने पर अपराध कारित किये जाने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त प्रतीत न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि फिरौती वसूलने के उद्देश्य से दिनांक 01.05.2004 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर सागर उम्र 04 वर्ष का अपहरण कर अपराध कारित किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, औरैया की आख्या/ संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोटे लाल पुत्र मुरली सिंह सिसौदिया को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in